

प्र. ११
जारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजरव आवेदन-107/2025
अनवान उगेवों देवी बनाम तेजाशम वगैरा

नम्बर व ताराख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

17.11.2025

प्रार्थी वकील उपरिथत। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये थे जिनकी डिलीवर्ड रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस भिजवाये 1 माह से अधिक का समय व्यतित हो चुका है अतः तामिली पूर्ण मानी जाती है। बावजूद सूचना के विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 बजे लगाई गई। विप्रार्थीगण संव्य या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ अतः विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

W



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : रा.आ./2025/712

दिनांक : 19/11/25

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
उमेदों देवी पत्नि थानाराम जाति दर्जी निवासी रामपुरा खारडा, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।		तेजाराम पुत्र समरथाराम जाति दर्जी निवासी रामपुरा खारडा, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 187/2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रामपुरा खारडा पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर कमशः 16, 17, 229/17 रकबा कमशः 0.1214, 13.8079, 3.3994 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

(कल्पित शिवरान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

दिनांक 19/11/25

क्रमांक : रा.आ./2025/713-718

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. भू-अभिलेख निरक्षक गिड़ा।
3. पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपरिथत रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी उमेदों देवी पत्नि थानाराम वगैरा 03
5. विप्रार्थी तेजाराम पुत्र समरथाराम वगैरा 28
6. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बालोतरा